

**दिनांक 10-08-2021**

वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 7 ग मय समर्थित शपथ पत्र 8 ग पर एकपक्षीय रूप से सुना। वादी अधिवक्ता का यह कहना है कि वादी व प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष आराजी नं० 69 रकबा 0.1010 हे० अक्षर ए, बी, सी, डी के भूमिधर मालिक व काबिज है। प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष का वादपत्र के अन्त में दर्शित विवादित संपत्ति अक्षर ए, बी, सी, डी अन्तर्गत आराजी नं० 69 रकबा 0.1010 हे० से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष पूर्णतया स्ट्रैजर है। प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष द्वारा उक्त आराजियात में विधि विरुद्ध हस्तक्षेप की धमकी दी जा रही है। इस प्रकार वादी द्वारा न्यायालय से एकपक्षीय रूप से अन्तरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित है कि वादी द्वारा वादपत्र के माध्यम से यह कथन किया गया है कि वादी व प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष वादपत्र के अन्त में दर्शित विवादित संपत्ति अक्षर ए, बी, सी, डी अन्तर्गत आराजी नं० 69 रकबा 0.1010 हे० के भूमिधर व मालिक काबिज है। उक्त के बाबत फर्द सबूत 10 ग के माध्यम से खतौनी 11 ग व खसरा 12 ग संलग्न है। प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष का विवादित संपत्ति से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। मामले के तथ्य एवं परिस्थियों में अग्रिम तिथि तक एकपक्षीय रूप से अन्तरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित किये जाने का आधार पर्याप्त है।

### **आदेश**

प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष को अन्तरिम रूप से अग्रिम तिथि तक एकपक्षीय रूप से निषेधित किया जाता है। प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष विवादित संपत्ति आराजी नं० 69 रकबा 0.1010 हे० में वादी के कब्जादखल में कोई हस्तक्षेप न करे। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादी त्वरित पैरवी करे। एकपक्षीय अन्तरिम निषेधाज्ञा का आदेश पक्षकारों पर प्रभावी रहेगा एवं अग्रिम तिथि पर यथोचित आधार पाये जाने पर ही अग्रसारित किया जायेगा। यदि वादी द्वारा किसी तथ्य को छुपाकर वाद लाया गया होगा तब वे उसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। वादी आदेश 39 नियम 3 जा०दी० का अनुपालन अविलम्ब करे तथा इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करे कि प्रार्थना पत्र 7 ग के निस्तारण हेतु सदैव तत्पर व तैयार रहेगा। वास्ते आपत्ति निस्तारण 7 ग दिनांक 10-09-2021 को पेश हों।

सिविल जज (जू०डि०)  
बांसगाँव, गोरखपुर

**दिनांक 10-08-2021**

प्रार्थना-पत्र 9 ग पर सुना, स्वीकृत। वादी पैरवी अन्दर 3 दिन करे। बाद पैरवी अदालत अमीन को परवाना जारी हो। अदालत अमीन उक्त प्रार्थना-पत्र के प्रकाश में अपनी आख्या नियत तिथि के पूर्व प्रस्तुत करे।

सिविल जज (जू०डि०)  
बांसगाँव, गोरखपुर

